

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र सं०-1/ए०जी०-14/117

/क०, पटना, दिनांक-

2018

संकल्प

विषय :- श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के उपनाम में परिवर्तन करने हुए उनका नाम श्री गणेश "कुमार" रखने की अनुमति।

नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग) के ज्ञापांक-111/आर०आई०-108/64ए-10026/पटना, दिनांक-22.08.64 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-4714 दिनांक-05.05.1983 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती, बिहार, पटना ने आवेदन दिया है कि उनके उपनाम "राम" से "राम" हटाकर "कुमार" जोड़ते हुए उनका नाम श्री गणेश "कुमार" के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाय।

2. श्री गणेश राम द्वारा नियुक्ति विभाग एवं अब सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसार उपनाम में परिवर्तन हेतु सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई है।

3. अतः श्री गणेश राम के आवेदन पर पूर्णरूपेण विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल उनके नाम में निम्न रूप में परिवर्तन करने का आदेश देते हैं -

" श्री गणेश राम" को तात्कालिक प्रभाव से "श्री गणेश कुमार" सम्बोधित किया जाय।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संबंधितों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

/कृ०, पटना, दिनांक-

2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी सीडी सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को हार्ड कापी सीडी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

कृ०, पटना, दिनांक-

2018

प्रतिलिपि:- मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव कृषि के आप्त सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती, कृषि विभाग, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/सभी कर्मचारी/स्थापना शाखा/पेंशन शाखा/प्रेषण शाखा/टंकण शाखा/वितरण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

कृ०, पटना, दिनांक-

2018

प्रतिलिपि:- बिहार कृषि सेवा के सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, संयुक्त नियंत्रक/उप निदेशक, उप नियंत्रक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक, सहायक नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

कृ०, पटना, दिनांक-

2018

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार बिहार, पटना/राँची/भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी बिहार/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक- 1375

कृ०, पटना, दिनांक- 16-03-2018

प्रतिलिपि:- उप निदेशक (शष्य) सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

  
16.03.18

  
16/03/18  
सरकार के अवर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।